भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2843
दिनांक 08 अगस्त, 2024

जैव-डीजल पर विनियमन

†2843. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति :
श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनधिकृत जैव-डीजल की बिक्री पीईएसओ विनियमों के बिना हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या ''परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019'' में जैव-डीजल की बिक्री को व्यापक रूप में शामिल नहीं किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) इस स्थिति में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ड.): सरकार को समय-समय पर देश में जैव डीजल की अनधिकृत बिक्री/जैव डीजल के नाम पर पेट्रोलियम उत्पादों की अवैध बिक्री की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने 'परिवहन प्रयोजनों के लिए हाईस्पीड डीजल में मिश्रण हेतु जैव डीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश-2019' पहले ही जारी कर दिए हैं। ये दिशानिर्देश जैव डीजल की बिक्री को विनियमित करते हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ शासित राज्यों के सरकारी प्राधिकरणों को जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। दिशानिर्देशों में अनधिकृत और अनैतिक जैव डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भंडारण तथा वितरण इकाइयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, उनकी तलाशी लेने और बंद करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को भी अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने जैव डीजल की गैर कानूनी बिक्री में लिप्त कंपनियों के विरुद्ध मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की सलाह देते हुए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पत्र भी लिखा है। ओएमसीज के अधिकारियों सहित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों ने देश में जैव डीजल के नाम पर बेचे जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों की अनैतिक बिक्री को रोकने के लिए अनेक निरीक्षण किए हैं/छापे मारे हैं।

***